मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल दिनांक 01/06/2019

//आदेश//

क्रमांक, एफ-6-6/2012/सात-3 :: राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 की कण्डिका-1 में "प्राकृतिक प्रकोपों जैसे अतिवृष्टि, ओला, असमयवृष्टि (बेमौसम वर्षा), पाला, शीतलहर, कीट-इल्ली, टिडडी आदि, बाढ, आंधी, तूफान, भूकम्प, सूखा एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल की नुकसानी तथा जनहानि और पशु हानि होती है," वाक्य के पश्चात नवीन वाक्य "कभी कभी शासकीय जल संरचना फूट जाने से भी खेतों में पानी भर जाने के कारण कृषकों के फसल की नुकसानी होती है" जोडा जाता है।

2/ राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के परिशिष्ट-1 के पद (एक) फसल हानि के लिए नोट (8-क) के पश्चात निम्नानुसार जोडा जाता है:-

(8-ख) - "किसी शासकीय जल संरचना के फूटने से कृषकों के खेतों में पानी भर जाने से हुई फसल क्षति को भी प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के समान आर्थिक सहायता दी जावेगी।"

3/ यह आदेश दिनांक 27/05/2019 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

1/6/19
(दुर्गा विजय सिंह)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक. एफ-6-6/2012/सात-3, भोपाल, दिनांक 01 /06/2019

प्रतिलिपि:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, मंत्रालय , भोपाल।
4. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय , भोपाल।
5. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
8. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय , भोपाल।
9. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश, मंत्रालय, भोपाल।
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
11. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क (प्रेस प्रकोष्ठ) , मंत्रालय ,भोपाल।

1/6/19

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, भोपाल